राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय,पंत कृषि भवन, जयपुर
दूरभाष नं. 0141–5101965 ई–मेल jdagr_atc1@rediffmail.com

क्रमांकः एफ.8(5)एटीसी/कृ. पुर./राज्य योजना/2018–19/894-1045 दिनांक :24/5/2018

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद (समस्त).....
2. उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
   जिला परिषद (समस्त).....

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश वर्ष 2018–19।

राज्य में जैविक खेती के क्षेत्र में जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 कृषकों को राज्य योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश वर्ष 2018–19 संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। अतः संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार समयबद्ध पालना सुनिश्चित करे।
संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

क्रमांकः एफ.8(5)एटीसी/कृ. पुर./राज्य योजना/2018–19/894-1045 दिनांकः 24/5/2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर, समस्त,.....।
5. निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
6. निदेशक राज0 राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर।
7. निदेशक समेती, दुर्गापुरा, जयपुर।
8. निदेशक अनुसंधान, श्री एस.के.एन. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
9. वित्तीय सलाहकार, कृषि, आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय जयपुर।
11. क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर (जोधपुर), श्रीगंगानगर, बीछवाल (बीकानेर), फतेहपुर (सीकर), केशवाना (जालोर), दुर्गापुरा (जयपुर), नौगॉव (अलवर), उदयपुर, बोरवट, (बांसवाड़ा), उम्मेदगंज (कोटा)।
12. अपर निदेशक, (अनु0/आदान/विस्तार/एन.एम.ओ.ओ.पी./समन्वय), कृषि, आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना/गुण–नियंत्रण/आदान/ विस्तार /पौध संरक्षण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आर.के.वी.वाई./ज.उ.प्र./एनएमएमओपी)/फसल बीमा, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि), राज्य जैव उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर।
15. मुख्य सॉख्यिकी अधिकारी, कृषि आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड–जयपुर/जोधपुर/सीकर/बीकानेर/श्रीगंगानगर/जालोर/भरतपुर/भीलवाडा/उदयपुर/कोटा।
17. उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी/सूचना/विस्तार), कृषि आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर।
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (एसीपी), मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त योजना के दिशा–निर्देश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
19. जनसम्पर्क अधिकारी (सूचना), कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर।
20. प्रभारी, किसान कॉल सेन्टर, पंत कृषि भवन, कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर।

(के.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य) ए.टी.सी.

राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2018–19

राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती को बढावा देने के लिए राज्य स्तर पर जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कृषकों को अवार्ड/पुरस्कार देने की प्रत्येक वर्ष माननीया मुख्यमंत्री महोदया, द्वारा अपने बजट भाषण 2015–16 में की गई घोषणा के क्रम में वर्ष 2018–19 में कृषकों का चयन निम्न दिशा–निर्देश के अनुसार किया जावेगा।

1. कृषि आयुक्तालय स्तर से कृषको को जानकारी देने के लिए एक विज्ञप्ति जारी कराई जायेगी जिसके उपरांत कृषक अपना आवेदन सम्बन्धित जिले के कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद को करेंगें। आवेदन करने की पूर्ण प्रक्रिया का अंकन विज्ञप्ति में उल्लेखित होगा।
2. जयपुर, दौसा, सीकर ,अजमेर, बारां एंव झालावाड़ जिलों के जिन कृषकों को वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में पुरस्कार हेतु राज्य स्तर से चयनित किया गया है, उन कृषकों के आवेदन वित्तीय वर्ष 2018–19 में मान्य नही होगें।
3. **कृषक पात्रता–** कृषक जैविक खेती से जुड़ा हुआ हो, गत पॉच वर्षो से कृषि/उधानिकी फसलों के उत्पादन का कार्य कर रहा हो। जिन कृषकों द्वारा कम से कम दो वर्षो तक जैविक प्रमाणीकरण कराया गया हो उन कृषको को प्राथमिकता से चयन हेतु वरीयता दी जाएगी
4. **चयन समिति–** प्रत्येक जिले से पुरस्कार हेतु उपयुक्त पाये जाने वाले एक कृषक का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर किया जाएगा जिसमें खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, उधान विभाग के उपनिदेशक/सहायक निदेशक एवं ग्राहय परीक्षण केन्द्र के उप निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नोड्ल प्रभारी अधिकारी होगे।
5. **कृषक का चयनः–** प्रत्येक जिले से सम्मानित किये जाने वाले एक कृषक का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा।
6. **राज्य स्तर पर पुरस्कारों की संख्या –** राज्य स्तर के पुरस्कार हेतु प्रत्येक जिले से एक कृषक का चयन किया जाएगा। इस प्रकार समस्त जिलों के कुल 33 कृषकों में से **राज्य स्तर के तीन सर्वश्रेष्ठ कृषकों का चयन पुरस्कार हेतु किया जाएगा।**
7. **पुरस्कार राशि –** राज्य स्तर के प्रत्येक कृषक को एक लाख रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दिया जायेगा। इस प्रकार कुल तीन कृषकों हेतु तीन लाख रूपयें पुरस्कार राशि राज्य योजना अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।
8. **चयन प्रक्रियाः–** पुरस्कार हेतु मनोनीत कृषको की उपनिदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा कमेटी गठित कर प्रारम्भिक जॉच की जायेगी। अन्तिम रूप से चयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेठी की बैठक आयोजित कर विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। जिला स्तर पर चयनित कृषकों के चयन के कारण को लिपिबद्व किया जायेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयनित एक नाम के साथ उनका कार्य विवरण, संपादित उल्लेखनीय गतिविधियों के फोटोग्राफ/सी.डी. एवं चयनित किये जाने के लिपिबद्व कारणों की प्रति भी साथ भिजवाई जायेगी, ताकि राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा इनका अवलोकन कर सभी जिलों द्वारा भिजवाये गये नामों में से राज्य स्तर के 3 पुरस्कारों हेतु कृषकों का चयन किया जा सके। जिला स्तर पर चयनित कृषक द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यो का संक्षिप्त आलेख भी कृषि निदेशालय को भिजवाया जाये।

9. **कृषक चयन का आधार :–**

(i) कृषि से संबंधित क्षेत्र के उन कृषकों का चयन किया जाये जो जैविक खेती आधारित गतिविधियों को अपनाकर गुणवत्तायुक्त उत्पादन लेते हो।

(ii) जो कृषक जैविक आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन का कार्य कर रहे है।

(iii) जो कृषक जैविक उर्वरक, जैव कीटनाशक, आदि का स्वयं निर्माण एवं उपयोग करते हो।

(iv) कृषक के खेत पर वर्मी कम्पोस्ट इकाई/कम्पोस्ट पिट आदि बना हुआ हो।

(v) कृषक द्वारा फसल चक्र अपनाया जाता हो और हरी खाद का उपयोग करता हो।

(vi) कृषक द्वारा जैविक खेती संबधित कोई नवाचार प्रयोग किया गया हो।

(vii) अन्य जैविक आधारित गतिविधि का पालन।

(viii) कृषक किसी राजकीय/निजी जैविक प्रमाणिकरण संस्था से पंजीकृत हो।

10. कृषक पुरस्कार हेतु कृषक का चयन बेहद पारदर्शी तरीके से करने हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच व उल्लेखित कार्यो को मोके पर सत्यापित कर अपनी अभिशंषा प्रस्तुत करेगी।

11. समिति द्वारा कृषक पुरस्कार हेतु प्रस्तुत कृषक के नाम का अनुमोदन जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष द्वारा अन्तिम रूप से किया जाएगा।

12. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कृषकों की अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इसका विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार एवं स्थानीय अखबारों में समाचार जारी कर तथा विभागीय फील्ड स्टाफ के माध्यम से जानकारी दी जावें।

13. **अन्तिम तिथि** :– कृषकों के आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही जिला स्तर पर 16 नवम्बर 2018 तक पूर्ण कर उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा भिजवाया जावेगा।

14. **वित्तीय प्रावधान** :– राज्य योजना अन्तर्गत जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के तीन कृषकों को वर्ष 2018–19 हेतु एक लाख रूपयें प्रति कृषक के हिसाब से कुल तीन लाख रूपये तथा अन्य व्यय हेतु (यथा विज्ञप्ति, प्रचार–प्रसार, चयनित कृषकों को देय वास्तविक किराया एवं आवास भोजन आदि) एक लाख, कुल चार लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

15. अन्तिम स्तर पर कृषक चयन राज्य स्तरीय निम्न कमेटी द्वारा किया जाकर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाया जायेगा

<u>राज्य स्तरीय कमेटी–</u>

1. आयुक्त कृषि, राजस्थान जयपुर –अध्यक्ष।
2. निदेशक अनुसंधान, श्री एस.के.एन. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–सदस्य।
3.. निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर–सदस्य।
4. अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान), मुख्यालय जयपुर–सदस्य।
5. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, जयपुर–सदस्य।
6. संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य),ए.टी.सी., मुख्यालय, जयपुर–सदस्य सचिव।

16 राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में किया जायेगा।